स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ, राजस्थान

PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

वैदिक कन्या महाविद्यालय, राजापार्क, जयपुर-302004 फोन:- 0141-2622055

email : swayamsevirajasthan@gmail.com

क्रमांक : स्व.से.शि.सं.सं.रा./ /2014 **दिनांक :** 06.01.2015

जस्टिस शिव कुमार शर्मा
अध्यक्ष, फीस निर्धारण समिति,
राजस्थान, जयपुर

विषय **: फीस निर्धारण में विसंगतियों के सम्बन्ध में।**

महोदय

आपकी अध्यक्षता में फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस को लेकर सारे राजस्थान में भयंकर असंतोष है। यह सर्वविदित है कि विद्यालय विधेयक 2013 शिक्षण संस्थाओं में मुनाफाखोरी रोकने के लिए बना था, परंतु मुनाफाखोरी रोकने के स्थान पर समिति ने उन संस्थाओं का अस्तित्व समाप्त करने का कार्य किया है जो नाममात्र की फीस लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर रही हैं। संविधान की धारा 21(1) के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है, जिसका निर्वहन निजी शिक्षण संस्थाएं सरकार से एक पैसा लिए बिना कर रही हैं। इन संस्थाओं को सहयोग देने के स्थान पर उनका दमन करना और उनकी फीस कम करके उनके अस्तित्व को समाप्त करना जनविरोधी है।

फीस निर्धारण समिति के गठन के बाद जब आपको अध्यक्ष बनाया गया तो आपने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा कि हमारा उद्देश्य बड़ी मछलियों को पकड़ना है जो अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं और मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। अधिकांश संस्थाएं तो नाममात्र की फीस ले रही हैं, उनके विरुद्ध हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और न ही फीस कम करेंगे।

आपने हमें इस तथ्य से भी अवगत कराया कि समिति ने 10 प्रतिशत वृद्धि वेतन एवं अन्य शैक्षिणक कार्यों के लिए तथा 15 प्रतिशत शुल्क विकास कार्य के लिए निर्धारित कर फीस वृद्धि का निर्णय लिया है। परंतु समिति ने 2012-13 में ली जाने वाली फीस पर 11 प्रतिशत वृद्धि और 2013-14 पर 10 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लेकर फीस निर्धारित कर दी। 2014-15 में महंगाई के आसमान छूने के कारण महंगाई के अनुसार संस्थाओं को फीस निर्धारित करनी पड़ी और इसके बावजूद अधिकांश संस्थाएं लाखों रुपए के घाटे में चल रही हैं। अत: समिति को संस्थाओं के आय-व्यय को देखकर फीस निर्धारित करनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में अधिकांश संस्थाओं का संचालन असंभव हो जाएगा और लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त फीस निर्धारण का समिति ने जो फार्मूला बनाया उसका भी पालन नहीं किया गया। अनेक संस्थाओं की फीस 2012-13 से भी कम कर दी गई, उनमें से कुछ स्कूलों की सूची संलग्न है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर संस्थाओं को सूचित किया कि उच्च प्राथमिक स्तर तक 24 हजार और उच्च माध्यमिक तक 30 हजार फीस निर्धारित की जाती है। समिति को इस तथ्य से अवगत कराया गया तो उसने यह उत्तर दिया कि इस पत्र से हमारा तात्पर्य यह था कि पहले उन संस्थाओं की फीस निर्धारित की जाएगी जो 24 हजार और 30 हजार से ज्यादा फीस ले रही है परंतु समिति ने पहले उन संस्थाओं की फीस निर्धारित की जो 24 हजार और 30 हजार से कम फीस ले रही थी और इससे अधिक फीस लेने वालों को फीस निर्धारण से मुक्त रखा गया।

समिति की नीति से यह स्पष्ट है कि 21 प्रतिशत 2012-13 व 2013-14 में ली जा रही फीस के आधार पर 11 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वृद्धि इसलिए की गई ताकि सरकार को आरटीई के अनुसार संस्थाओं को भुगतान नहीं करना पड़े।

अत: आपसे आग्रह है कि फीस निर्धारण के सम्बन्ध में आप पुनर्विचार करें और आप द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार वेतन आदि शैक्षणिक कार्यों के लिए 10 प्रतिशत एवं विकास कार्य के लिए 15 प्रतिशत की वृद्धि 2012-13 से निर्धारित की जाए तथा संस्थाओं के ऑडिटेड आय-व्ययक को देखकर व्यय के अनुसार भावी विकास की योजना को दृष्टिगत रखते हुए फीस वृद्धि की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त जिन संस्थाओं की 2012-13 में ली जाने वाली फीस में कमी की गई है और समिति द्वारा निर्धारित फार्मूले की पालना नहीं की गई उसकी समीक्षा की जाए और अविलम्ब इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे आग्रह पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और लाखों छात्र-छात्राओं के हित में न्याय संगत निर्णय लेंगे।

(किशन मित्तल)
मंत्री
9829523349

(सत्यव्रत सामवेदी)
अध्यक्ष
9829052697

स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ, राजस्थान
PROVINCIAL ASSOCIATION OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS
वैदिक कन्या महाविद्यालय, राजापार्क, जयपुर-302004 फोनः- 0141-2622055
email : swayamsevirajasthan@gmail.com

क्रमांक : स्व.से.शि.सं.सं.रा./ /2014 **दिनांक : 06.01.2015**

नमूने के तौर पर कुछ संस्थाओं की सूची जिनकी फीस 2012-13 से भी कम की गई

विद्यालय का नाम	2012-13 की फीस	समिति द्वारा निर्धारित फीस
1. विद्यायिनी अपर प्राइमरी स्कूल	2250 रुपए	1950 रुपए
2. सेन्ट विवेकानन्द अपर प्राइमरी स्कूल	2800 रुपए	2700 रुपए
3. एबीएन सेन्ट्रल एकेडमी	4925 रुपए	4600 रुपए
4. भारत विद्या मंदिर, जालोर	3000 रुपए	2900 रुपए